<u>लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) - अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न</u>

- **पीपीएफ योजना क्या है?**

  लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) योजना एक दीर्घ अवधि निवेश योजना है जो लोक भविष्य निधि अधिनियम , 1968 के अंतर्गत बनाई गई तथा भारत सरकार द्वारा संरक्षित है. यह सुरक्षा के साथ आकर्षक ब्याज दर प्रदान करती है और इसके रिटर्न पर पूर्णत: कर की छूट है.

- **पीपीएफ योजना के अंतर्गत कौन खाता खोल सकता है**

  - व्यक्ति अथवा अवयस्क के संरक्षक के रूप में व्यक्ति पीपीएफ खाता खोल सकता है. (संयुक्त नाम से खाता नहीं खोला जा सकता है.)
  - व्यक्ति के स्वयं के नाम पर सिर्फ एक खाता खोला जा सकता है.

- **पीपीएफ खाता कौन नहीं खोल सकता है?**

  - हिंदू अविभक्त परिवार (एचयूएफ़) पात्र नहीं है.
  - अनिवासी भारतीय पात्र नहीं है.

- **पीपीएफ में अभिदान की सीमा क्या है?**

  एक वित्तीय वर्ष के दौरान इस खाते में न्यूनतम 500/- रुपये और अधिकतम 1,50,000/- रुपये एक बार में या 12 किस्तों में जमा किए जा सकते हैं.
  (23.08.2014 से अभिदान की राशि की सीमा को बढ़ा कर 1 ,50,000/- कर दिया गया है)

- **पीपीएफ खाता परिपक्व कब होता है और क्या पीपीएफ खाते को परिपक्वता के बाद भी चलाया जा सकता है?**

  खाते की अवधि 15 वर्ष है और परिपक्वता की अवधि पूर्ण होने के बाद एक वर्ष के अंतर्गत लिखित निवेदन देकर ब्याज की हानि हुए बिना खाते को 1 या अधिक ब्लॉक जो 5 वर्ष का होगा, के लिए बढ़ाया जा सकता है.

- **पीपीएफ खाते को कब बंद मान लिया जाता है?**

जब अभिदाता वित्तीय वर्ष के दौरान न्यूनतम 500/- रु. की राशि अभिदान करने में असफल रहता है तो खाते को बंद मान लिया जाता है. ऐसे मामलों में अभिदाता उस खाते को फिर से चालू किए बिना ऋण लेने अथवा आंशिक आहरण करने के लिए पात्र नहीं होगा. अभिदाता एक बंद खाते के साथ-साथ दूसरा खाता नहीं खोल सकता.

- **बंद खाते को पुनः चालू कैसे किया जा सकता है?**

बंद खाते का अभिदाता , भुगतान न किए गए वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 500/- रु. अभिदान के साथ प्रत्येक चूक वर्ष के लिए 50/- रु. प्रति वर्ष के हिसाब से भुगतान कर खाते को पुनः चालू करवा सकता है.

- **पीपीएफ के अंतर्गत ब्याज की दर क्या होगी?**

ब्याज की दर केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र में समय समय पर सूचित की जाती है. वर्तमान में ब्याज की दर 8.7% वार्षिक है.

- **क्या योजना में नामिती की सुविधा है?**

पीपीएफ योजना में अभिदाता एक या अधिक व्यक्तियों को नामित कर सकता है. तथापि अवयस्क खाते में व्यक्ति(यों) को नामित करना संभव नहीं होता है.

- **क्या नामांकन में परिवर्तन किया जा सकता है?**

हाँ, नए सिरे से फॉर्म भरकर पूर्व के नामिती(नामितियों) को परिवर्तित किया जा सकता है.

- **क्या पीपीएफ खाता अंतरित किया जा सकता है?**

हाँ, पीपीएफ खाता धारक द्वारा वर्तमान खाता कार्यालय में लिखित आवेदन दे कर खाते को राष्ट्रीयकृत अथवा निजी क्षेत्रों के बैंकों की अनुमत शाखाओं या डाक घर में अंतरित किया जा सकता है.

- **क्या पीपीएफ योजना के अंतर्गत ऋण सुविधा या खाते से आंशिक आहरण संभव है?**

हाँ, अभिदाता पीपीएफ खाता खुलने वाले वित्तीय वर्ष के बाद तीसरे वित्तीय वर्ष में ऋण लेने की लिए पात्र होता है. प्रथम वित्त वर्ष की समाप्ति पर खाते में जमा राशि की 25% राशि पर ऋण लिया जा सकता है. ऋण के चुकौती 36 माह में होगी. ऋण पर ब्याज की दर पीपीएफ ब्याज दर से 2% वार्षिक अधिक होगी. ऋण की चुकौती निर्दिष्ट 36 माह के भीतर एकमुश्त या दो या अधिक मासिक किस्तों में की जाएगी. चुकौती अभिदाता के खाते में जमा की जाएगी. ऋण के मूलधन की पूर्णतः चुकौती

हो जाने पर अभिदाता को उस पर ब्याज का भुगतान अधिकतम दो मासिक किश्तों में करना होगा. यदि ऋण की चुकौती निर्दिष्ट 36 माह में नहीं की जाती है तो ऋण की बकाया राशि पर ब्याज की दर 2% प्रति वर्ष से 6% प्रति वर्ष कर दी जाएगी.

5वें वर्ष की समाप्ति से प्रत्येक वर्ष आहरण किया जा सकता है. आहरण पूर्ववर्ती वर्ष के ठीक पहले के चौथे वर्ष की समाप्ति अथवा पूर्ववर्ती वर्ष की समाप्ति पर खाते में उपलब्ध राशि में से जो भी कम हो के 50% में से यदि कोई ऋण लिया गया हो और अप्रदत्त हो तो उसे घटाकर उपलब्ध राशि तक अनुमत होगा.

यदि कोई खाता परिपक्वता के बाद भी चालू है तो 5 वर्षों की ब्लॉक समयावधि के दौरान जमा राशि के 60% तक का आंशिक आहरण बढ़ाई गई अवधि के आरंभ में किए जाने की अनुमति है.

- **क्या अवयस्क पीपीएफ खाते से अंशतः आहरण अनुमत है?**
  हाँ, अवयस्क पीपीएफ खाते से आंशिक आहरण करने की अनुमति है जिसके लिए संरक्षक को निम्नानुसार घोषणा देना होगी:

  "प्रमाणित किया जाता है कि आह रित राशि की आवश्यकता _____ (अवयस्क का नाम) के उपयोग के लिए है जो जीवित है तथा अभी भी अवयस्क है."

- **क्या पीपीएफ खाता परिपक्वता के बाद भी राशि जमा करते हुए चालू रखा जा सकता है?**
  हाँ, अभिदाता पीपीएफ खाते में ब्याज की हानि हुए बिना खाते को 1 या अधिक ब्लॉक जो 5 वर्ष के होगें , के लिए बढ़ा सकता है. इसके लिए उसे परिपक्वता की तारीख से 1 वर्ष के भीतर लिखित रूप में अनुरोध करना होगा.

- **क्या पीपीएफ खाता परिपक्वता के बाद कोई नया जमा किए बिना चालू रखा जा सकता है?**
  हाँ. अभिदाता परिपक्वता के बाद भी बिना और राशि जमा किए अपना पीपीएफ खाता चालू रख सकता है. शेष राशि पर निर्दिष्ट दर से ब्याज मिलता रहेगा. अभिदाता प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी राशि का एक आहरण कर सकता है.

- **क्या शादी के कारण महिला अभिदाता के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है?**
  हाँ, शादी होने पर महिला अभिदाता अपने खाते में नाम में परिव र्तन का आवेदन दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ कर सकती है.

- **अभिदाता की मृत्यु होने पर पीपीएफ खाते की शेष राशि की चुकौती कैसे की जाएगी?**
  अभिदाता की मृत्यु होने पर पीपीएफ खाते में जमा शेष राशि नामिती या विधिक उत्तराधिकारी को आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के उपरांत अदा कर दी जाएगी.

- **क्या अभिदाता की मृत्यु के बाद भी पीपीएफ खाते में ब्याज अर्जित होगा?**
  अभिदाता की मृत्यु होने के बाद भी पीपीएफ खाते में जमाराशि पर निर्दिष्ट दर से ब्याज अर्जित होता रहेगा.

- **क्या पीपीएफ खाता परिपक्वता पूर्व बंद किया जा सकता है?**
  नहीं किया जा सकता , सिर्फ अभिदाता की मृत्यु होने पर ही खाता बंद किया जा सकता है.

- **पीपीएफ योजना के अंतर्गत आयकर लाभ क्या हैं?**
  आयकर अधिनियम के खंड 88 के अंतर्गत कर लाभ मिलता है. ब्याज की आय पर भी आयकर से पूर्णत: छूट है. पीपीएफ खाते में बकाया जमा राशि पर पूर्णत: संपत्ति कर की छूट प्राप्त है.